

कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

फोन/फैक्स : 01376-232077,
ई:मेल
dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 4212/12-1

नई टिहरी, दिनांक-

12-06-2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती।

विषय:- जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड भिलंगना में नगर पंचायत चमियाला पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.359 है० का वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम घनसाली को 30 वर्षों की लीज पर लिये जाने के सम्बन्ध में। (Online No-FP/UKWATER/41575/2029)

सन्दर्भ:- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक- 2571/FP/UKWATER/41575/2029, दिनांक-03.06.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक-20.05.2020 से प्रश्नगत प्रस्ताव में इंगित आपत्तियों का निराकरण कर आख्या याचक विभाग द्वारा अपने पत्रांक-413/410/08 दिनांक-26.05.2025 से इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जो कि निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण
1	State government may submit the land schedule of civil soyam land in length and width format.	लैन्ड शैड्यूल (सिविल एवं सोयम भूमि) की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-01)
2	It is submitted that all the muck will be utilized but muck disposal plan is not countersigned by DFO. State Government may clarify this and submit the muck disposal plan duly countersigned by the DFO.	मलबा निस्तारण प्रमाण पत्र को प्रभागीय वनाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर कर दिया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है। (संलग्नक-02)
3	Comments of DFO against para-6 i.e. 'Brief not on vulnerability of the forest area to erosion' seem is not provided. State Government may provide the appropriate comments against the para-6 of Part II online.	ऑनलाईन पैरा-06 भाग-02 में संशोधन कर दिया गया है।
4	Plantation scheme not found uploaded. State Government may upload the plantation scheme of planting 359 trees in online portal.	वृक्षारोपण प्राक्कलन को ऑनलाईन भाग-02 के अतिरिक्त दस्तावेज में अपलोड कर दिया गया है तथा प्रति संलग्न है। (संलग्नक-03)
5	Comments against para-6 i.e. 'Brief not on vulnerability of the forest area to erosion' seem inappropriate. State Government may provide the appropriate comments against the para-6 of Part II Online.	ऑनलाईन पैरा-06 भाग-02 में संशोधन कर दिया गया है।
6	It is seen from the data given in para-14 of online Part-II i.e. district profile that the CA stipulated is not commensurate to the forest land diverted. Logically, the CA stipulated should be double the area of forest land diverted and the disparity, if any, is required to be Clarified suitably.	ऑनलाईन पैरा-14 भाग-02 में district profile को संशोधित कर दिया गया है।
7	Two components i.e. construction of Tank and pipeline is mentioned in the components wise breakup at para B 2.4 of part-I but 5 components i.e. construction of intake, (ii) treatment plant MPS, Reservoir, (iii) staff quarter, (iv) pipeline and (v) sign board are mentioned in the component wise breakup submitted with the hard copy of the proposal State Government may clarify this discrepancy.	प्रस्तावित परियोजना का मदवार विवरण (प्रारूप-31) को संशोधित कर दिया गया है। जिसकी प्रति संलग्न है। (संलग्नक-04)

8	The forest land involed is mentioned as 0.20 ha. Instead of 0.359 ha. in para 3 & 5 of the sub-diviosional level committee proceedings.	Sub-diviosional level committee proceeding (प्रारूप-30.2) में परियोजना के क्षेत्रफल को संशोधित करते हुये 0.20 है० के स्थान पर 0.359 है० कर दिया गया है। जिसकी प्रति संलग्न है। (संलग्नक-05)
---	---	---

अतः प्रश्नगत परियोजना में इंगित कमियों का ऑनलाईन व ऑफलाईन निराकरण कर आख्या मय संलग्नक 03 प्रतियों (एक मूल प्रति सहित) में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(पुनीत तोमर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

पत्रांक:-

तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, घनसाली, (टिहरी गढवाल)-249155 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पुनीत तोमर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।